भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3557
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

देश में नक्सली हिंसा

3557. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में नक्सली हिंसा बढ़ गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार के नक्सली गतिविधियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए जाने वाले आय सृजन के अवसरों सहित ऐसे सहायक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, नहीं। राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना-2015 के दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव के भौगोलिक फैलाव में निरंतर कमी हुई है। हिंसक घटनाओं की संख्या वर्ष 2009 में 2258 से घटकर वर्ष 2018 में 833 हो गई है। इसकी वजह से परिणामी मौत की संख्या भी वर्ष 2010 में 1005 से तेजी से घटकर वर्ष 2018 में 240 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक फैलाव में कमी होना इस बात से स्पष्ट होता है कि हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या वर्ष 2010 में 95 से घटकर वर्ष 2018 में 60 हो गई है।

रा.स.अ.प्र.सं. 3557

(ग) और (घ): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण वामपंथी उग्रवादी कॉडरों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकारों के पास आत्मसमर्पण और पुनर्वास संबंधी अपने स्वयं के प्रोत्साहन मौजूद हैं। राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के माध्यम से आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति करती है।

******